समय के साथ
जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं...
इसलिए आपकी सुरक्षा भी बढ़नी चाहिए।

एक पूर्ण सुरक्षा योजना जो आपके जीवन के विभिन्न पड़ावों के साथ बढ़ती जाती है।

पेश है

एलआईसी का बीमा कवच

यूआईएन: 512N360V01 | प्लान नं.: 887

नॉन–पार, नॉन–लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, विशुद्ध जोखिम प्लान

- समान या बढ़ती बीमा राशि विकल्प
- लचीले प्रीमियम भुगतान विकल्प - एकल, नियमित या सीमित (5, 10 या 15 वर्ष)
- आजीवन जोखिम संरक्षण (100 वर्ष तक)
- जीवन के परिभाषित पड़ावों (लाईफ स्टेज इवेंट्स) पर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प*

*केवल एक मानक जीवन, जिसकी आयु 40 वर्ष (पिछला जन्मदिन) से कम या उसके बराबर है, के लिए नियमित प्रीमियम भुगतान वाले समान बीमा राशि विकल्प के अंतर्गत ही उपलब्ध.

LIC/R1/2025-26/24/Hin/SB

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें LIC digital

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/अपनी निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/www.licindia.in पर जाएं

हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी की बीमा कवच
(UIN: 512N360V01)
(एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, शुद्ध जोखिम प्लान)

एलआईसी का बीमा कवच एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, शुद्ध जोखिम प्लान है जो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमाधारक की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

यह एक असहभागी उत्पाद है जिसके अंतर्गत मृत्यु पर मिलने वाले हितलाभ, वास्तविक अनुभव का विचार किए बिना गारंटीकृत तथा निश्चित हैं। (वास्तविक अनुभव) अत: यह पॉलिसी किसी विवेक आधारित हितलाभ जैसे कि बोनस आदि या अधिशेष राशि में हिस्से की हकदार नहीं है।

इस योजना को लाइसेंस प्राप्त एजेन्ट्स, कॉर्पोरेट एजेन्ट्स, ब्रोकर्स और इंश्योरेन्स मार्केटिंग फर्म्स के माध्यम से ऑफलाइन, और साथ ही www.licindia.in इस वेबसाइट के ज़रिए सीधे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है।

प्रत्याशित पॉलिसीधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय वे इस उत्पाद की विशेषताओं, जिनमें संबद्ध जोखिमें एवं हितलाभ शामिल हैं, का संदर्भ ले सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इस उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध उत्पाद/विकल्पों का चयन कर सकते हैं।

1. मुख्य विशेषताएं:

- आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा।
- निम्न का लचीलापन:
  - मृत्यु हितलाभ के दो विकल्पों में से चुनें : स्थायी बीमा राशि तथा बढ़ती हुई बीमा राशि।
  - एकल प्रीमियम, 5,10 तथा 15 वर्षों के लिए नियमित प्रीमियम तथा सीमित प्रीमियम भुगतान में से चयन।
  - 100 वर्षों तक उपलब्ध सुरक्षा कवच सहित पॉलिसी अवधि का चयन।
  - नियमित प्रीमियम भुगतान के साथ स्थायी बीमा राशि मृत्यु हितलाभ विकल्प के अंतर्गत जीवन की परिभाषित घटनाओं की अवस्थाओं पर जीवन सुरक्षा को बढ़ाने का विकल्प।
  - किस्तों में मृत्यु हितलाभ के भुगतान का विकल्प।
- महिलाओं के लिए विशेष दरें।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट हितलाभ।
- प्रीमियम दरों की दो श्रेणियाँ – (1) नॉन–स्मोकर दरें एवं (2) स्मोकर दरें। नॉन–स्मोकर दरों की प्रयोज्यता यूरीनरी कोटिनाइन टेस्ट के परिणामों पर आधारित होगी और निगम की बोर्ड–अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अधीन होगी। अन्य सभी मामलों में स्मोकर दरें लागू होंगी।

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:

<table>
<tr><td>मृत्यु हितलाभ विकल्प</td><td colspan="3">• विकल्प I: स्थाई बीमा राशि
• विकल्प II: बढ़ती हुई बीमा राशि</td></tr>
<tr><td>प्रवेश के समय आयु</td><td>न्यूनतम:
18 वर्ष (पिछले जन्मदिन पर)</td><td colspan="2">अधिकतम:
65 वर्ष (पिछले जन्मदिन पर)
(हालांकि, 60 वर्ष (पिछले जन्मदिन पर) से अधिक उम्र के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा स्वीकृत बीमालेखन पॉलिसी, पुनर्बीमाकर्ता की स्वीकृति तथा इस बारे में लागू अन्य नियमों तथा शर्तों के अधीन ही मामले विशेष के अनुसार विचार किया जाएगा.)</td></tr>
<tr><td>परिपक्वता पर आयु</td><td>न्यूनतम:
28 वर्ष (पिछले जन्मदिन पर)</td><td colspan="2">अधिकतम:
100 वर्ष (पिछले जन्मदिन पर)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">मूल बीमा राशि</td><td rowspan="4">न्यूनतम:
रु.2,00,00,000/-</td><td colspan="2">अधिकतम:
कोई सीमा नहीं, बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिमांकन पॉलिसी मूल बीमा राशि नीचे उल्लिखित राशि के गुणकों में होगी:</td></tr>
<tr><td>मूल बीमा राशि की श्रेणी</td><td>बीमा राशि गुणक</td></tr>
<tr><td>रु.2,00,00,000/- से रु.2,75,00,000/- तक</td><td>रु.5,00,000/-</td></tr>
<tr><td>रु.2,75,00,000/- से अधिक</td><td>रु.25,00,000/-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">पॉलिसी अवधि</td><td>प्रीमियम भुगतान</td><td>न्यूनतम पॉलिसी अवधि (वर्ष)</td><td>अधिकतम पॉलिसी अवधि (वर्ष)*</td></tr>
<tr><td>एकल प्रीमियम</td><td>10</td><td rowspan="3">82</td></tr>
<tr><td>सीमित प्रीमियम भुगतान:
10 वर्ष
15 वर्ष
20 वर्ष</td><td>

10
15
20</td></tr>
<tr><td>नियमित</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">*अधिकतम पॉलिसी अवधि परिपक्वता की 100 वर्ष की अधिकतम आयु (अर्थात संरक्षण समाप्ति की आयु) के अधीन होगी</td></tr>
<tr><td>प्रीमियम भुगतान अवधि</td><td colspan="3">एकल प्रीमियम: एक बार भुगतान
सीमित प्रीमियम भुगतान: 5, 10, 15 वर्ष
नियमित: पॉलिसी अवधि के समान</td></tr>
</table>

3. लाभ:

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ:

जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले, पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो एवं दावा स्वीकार्य हो, देय मृत्यु हितलाभ **"मृत्यु पर बीमा राशि"** होगी।

नियमित प्रीमियम एवं सीमित प्रीमियम भुगतान अंतर्गत, **"मृत्यु पर बीमा राशि"** निम्नांकित में से जो भी अधिक है, के रूप में परिभाषित है:

- वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना; या
- मृत्यु होने की तिथि तक "चुकाई गई कुल प्रीमियमों" का 105%; या
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली समग्र बीमा राशि।

एकल प्रीमियम भुगतान अंतर्गत, **"मृत्यु पर बीमा राशि"** निम्नांकित में से जो भी अधिक है, के रूप में परिभाषित है:

- एकल प्रीमियम का 125%; या
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि।

जहाँ,

i. **"वार्षिक प्रीमियम"** एक वर्ष में देय प्रीमियम होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होंगे।

ii. **"कुल भुगतान की गई प्रीमियम"** का अर्थ मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग है, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं होंगे। अगर जीवन अवस्था यानी लाइफ स्टेज विकल्प का प्रयोग किया गया है, तो कुल अदा किए गए प्रीमियम्स में अदा किया गया अतिरिक्त प्रीमियम/म्स भी शामिल होगा।

iii. **"एकल प्रीमियम"** देय प्रीमियम की राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम शामिल नहीं होंगे।

मृत्यु पर अदा की जाने वाली आश्वासित सुनिश्चित बीमा राशि यह पॉलिसी लेने के समय चुने गए मृत्यु हितलाभ विकल्प पर निर्भर होगी जो इस प्रकार है:

o **विकल्प I:** स्थायी बीमा राशि

मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि, मूल बीमा राशि के बराबर होगी जो पॉलिसी के दौरान अपरिवर्तित रहेगी। हालांकि, अगर बीमित व्यक्ति ने जीवन अवस्था (लाइफ स्टेज) विकल्प लिया है, (जैसा कि पैरा 4. II में उल्लेख किया गया है,) तो मूल बीमा राशि को संबंधित जीवन अवस्था घटना(ओं) (लाइफ स्टेज इवेन्ट(ट्स) का प्रयोग करने की स्थिति में प्रत्येक अतिरिक्त मूल बीमा राशि से बढा दिया जाएगा और यह निगम द्वारा स्वीकृति की तिथि से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ या अगले पॉलिसी वर्षगांठ से, तथा संबंधित जीवन अवस्था घटना(ओं) के लिए प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर प्रभावी होगी।

o **विकल्प II:** बढ़ती हुई बीमा राशि

मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि, पांचवा पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने तक मूल बीमा राशि के बराबर रहेगी। उसके बाद, छठे पॉलिसी वर्ष से पंद्रहवे पॉलिसी वर्ष तक इसमें मूल बीमा राशि के 10% की दर से तब तक वृद्धि होती रहेगी जब तक यह मूल बीमा राशि के दो गुना न हो जाए। प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत यह वृद्धि

पॉलिसी के अंत तक; अथवा मृत्यु के तारीख तक; अथवा पंद्रहवें पॉलिसी वर्ष तक और उसके पश्चात इनमें से जो भी पहले हो जारी रहेगी। सोलहवें पॉलिसी वर्ष से, मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि स्थिर अर्थात पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक मूल बीमा राशि के दो गुना रहेगी।

उदाहरण के लिए, रु.X की मूल बीमा राशि वाली पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु पर देय आश्वासित सुनिश्चित बीमा राशि पाँचवे पॉलिसी वर्ष के अंत तक रु.X, छठे पॉलिसी वर्ष में रु. 1.1X, सातवें पॉलिसी वर्ष में रु. 1.2X होगी और इसी प्रकार मूल बीमा राशि के 10% प्रति वर्ष की दर से तब तक बढ़ती रहेगी जब तक पंद्रहवे पॉलिसी वर्ष में यह 2X न हो जाए। सोलहवें पॉलिसी वर्ष और उस के पश्चात, मृत्यु पर देय सुनिश्चित बीमा राशि 2X ही होगी।

एक बार चुने जाने के बाद मृत्यु हितलाभ के विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

बी. परिपक्वता लाभ:

पॉलिसी अवधि के समाप्त होने तक बीमित व्यक्ति के उत्तरजीवित रहने पर, कोई परिपक्वता लाभ देय नहीं है।

4. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ:

पॉलिसीधारक के पास प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर नियमित प्रीमियम तथा सीमित प्रीमियम भुगतान माध्यम के अंतर्गत एलआईसी का दुर्घटना बेनिफिट राइडर (UIN:512B203V03 या इस राइडर के संशोधित प्रारूप) को प्राप्त करने का विकल्प है, बशर्तें मूल प्लान तथा राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि, बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष की आयु के होने के नजदीकी पॉलिसी वर्षगांठ पर कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा–रक्षित लाभ केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान, या उस पॉलिसी वर्षगाँठ, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि 70 वर्ष है, जो भी पहले हो, तक ही उपलब्ध होंगे। यदि यह राइडर चुना जाता है तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु लाभ के साथ दुर्घटना लाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त राशि के रूप में देय होगी।

समस्त पॉलिसियों के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की अधिकतम योगफल सीमा, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम से उसी जीवन के लिए ली गई व्यक्तिगत पॉलिसियां तथा समूह पॉलिसियां शामिल है, किसी भी दशा में दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के रु. 100 लाख से अधिक नहीं होगी (एलआईसी के जीवन शिरोमणि के अंतर्गत ली गई पॉलिसियों की अतिरिक्त रु. 100 लाख की सीमा को छोड़कर)।

इस राइडर के अंतर्गत प्रीमियम, मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी।

इस राइडर पर अधिक जानकारी के लिए, राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. जीवन अवस्था (लाइफ स्टेज) विकल्प:

जीवन अवस्था (लाइफ स्टेज) विकल्प पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को (पॉलिसी के अंतर्गत) पॉलिसी के आरंभ में उपलब्ध एक ऐसा विकल्प है जिसमें पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन की निश्चित अवस्थाओं को प्राप्त करने पर मूल बीमा राशि को बढाया जा सकता है। यह विकल्प बीमित व्यक्ति को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने के अधीन उपलब्ध होगा:

- अगर विकल्प – । (अर्थात स्थायी बीमा राशि) तथा नियमित प्रीमियम भुगतान को चुना गया है।
- प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की आयु 40 वर्ष या इससे कम है (पिछले जन्मदिन पर)।
- निगम की बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिमांकन पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी के आरंभ में बीमित व्यक्ति का जोखिमांकन मानक जीवन के रूप में किया गया है।

मूल बीमा राशि में वृद्धि, विकल्प को प्रयोग में लाने के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के लिए समर्थक वैध कागजातों को जमा कराए जाने की आवश्यकता के अलावा किसी पुन: मेडिकल जोखिमांकन के अधीन नहीं होगी।

इस विकल्प के अंतर्गत, बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि के दौरान निम्नलिखित जीवन अवस्था घटनाओं के घटित होने पर विनिर्दिष्ट राशि द्वारा मूल बीमा राशि को बढाए जाने का विकल्प चुन सकता है:

ए. विवाह के बाद, मूल बीमा राशि को (पॉलिसी अवधि के दौरान केवल एक बार), प्रारंभिक की मूल बीमा राशि के 50% से बढाया जा सकता है, जो कि रु.2 करोड़ की अधिकतम वृद्धि के अधीन होगी।

बी. पहले जीवंत बच्चे को जन्म दिए जाने पर, मूल बीमा राशि को प्रारंभिक मूल बीमा राशि के 25% से बढाया जा सकता है, जो कि रु.1 करोड़ की अधिकतम वृद्धि के अधीन है।

सी. दूसरे जीवंत बच्चे को जन्म दिए जाने पर, मूल बीमा राशि को प्रारंभिक मूल बीमा राशि के 25% से बढाया जा सकता है, जो कि रु.1 करोड़ की अधिकतम वृद्धि के अधीन है।

नोट: बिंदु बी) या सी) के अंतर्गत, जुड़वा बच्चे या एक साथ तीन आदि बच्चे होने पर, कुल मिलाकर केवल दो वृद्धियां ही स्वीकार्य होंगी तथा वृद्धि का विकल्प केवल पहले दो बच्चों के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकेगा।

जीवन अवस्था विकल्प (अगर इसे पॉलिसी के आरंभ में चुना जाता है) को बीमित व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित नियमों तथा शर्तों के अधीन ही प्रयोग किया जा सकता है:

i. विकल्प को प्रयोग में लाते समय पॉलिसी चालू स्थिति में होनी चाहिए, अर्थात निश्चित जीवन अवस्था की घटनाओं के होने पर बीमा राशि में वृद्धि के लिए अनुरोध करते समय।

ii. अगर इस विकल्प पर अमल करने से पहले पॉलिसी को पुनर्चलित किया जाता है, तो पॉलिसी का पुनर्चलन निगम की बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन पॉलिसी के अनुसार मानक दरों पर होना चाहिए।

iii. बीमित व्यक्ति की आयु उस पॉलिसी की वर्षगांठ से, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त सुरक्षा प्रभावी होती है, 45 वर्ष (पिछले जन्मदिन पर) या उससे कम होनी चाहिए।

iv. पॉलिसी की बकाया अवधि मूल पॉलिसी को जारी करते समय नियमित प्रीमियम भुगतान के लिए उत्पाद के अंतर्गत स्वीकृत न्यूनतम पॉलिसी अवधि से कम नहीं होगी।

v. उपरोक्त उल्लिखित 3 जीवन अवस्था घटनाओं में से किसी के घटित होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के अंदर, बीमित व्यक्ति के द्वारा मूल बीमा राशि में वृद्धि किए जाने का लिखित अनुरोध किया जाना आवश्यक है।

vi. मूल बीमा राशि में वृद्धि निगम द्वारा ऐसा अनुरोध स्वीकार किए जाने की तिथि से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से, तथा संबंधित जीवन

अवस्था घटना(ओं) के लिए प्रत्येक ऐसे अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर प्रभावी होगी।

vii. निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अनुसार मूल बीमा राशि में वृद्धि न करने का अधिकार सुरक्षित है।

परिभाषित जीवन अवस्था घटनाओं के लिए विकल्प पर प्रयोग करने पर तथा निगम द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने पर, अतिरिक्त प्रीमियम(म्स) के भुगतान पर, निम्नलिखित के अधीन बढ़ायी गई अतिरिक्त मूल बीमा राशि (मूल पॉलिसी पर उपयुक्त पृष्ठांकन के अनुसार ऐसी प्रत्येक घटना के लिए), मृत्यु पर अदा की जाने वाली परम बीमा राशि (यानी मूल बीमा राशि) होगी:

- बीमित व्यक्ति द्वारा विभिन्न जीवन अवस्था घटना पर चुनी गई अतिरिक्त मूल बीमा राशि के लिए अतिरिक्त प्रीमियम(म्स) निम्नलिखित पर आधारित होगा
  - o बीमित व्यक्ति की प्राप्त आयु (पिछले जन्मदिन पर) तथा
  - o शेष पॉलिसी अवधि

  पॉलिसी की वर्षगांठ को, जिसके बाद से अतिरिक्त संरक्षण प्रभावी होगा।
- मूल पॉलिसी जारी करते समय लागू प्रीमियम तालिका का उपयोग उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आयु के समकक्ष तथा शेष पॉलिसी अवधि के लिए अतिरिक्त प्रीमियम(म्स) को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। पॉलिसी के आरंभ में पॉलिसी के अंतर्गत यथा प्रयुक्त, रीबेट/लोडिंग, यदि कोई हो, पर भी अतिरिक्त प्रीमियम(म्स) की गणना करने के लिए विचार किया जाएगा।
- जिस पॉलिसी वर्षगांठ से अतिरिक्त संरक्षण प्रभावी होगा,उससे पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रभावी प्रीमियम के साथ अतिरिक्त प्रीमियम(म्स) भी देय रहेगा।

एक बार जीवन अवस्था विकल्प को प्रयोग करके मूल बीमा राशि को बढ़ाए जाने के बाद, उसे पॉलिसी की अवधि के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है।

III. मृत्यु हितलाभ किस्तों में लेने का विकल्प:

यह चालू पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु हितलाभों को एकमुश्त लेने की बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चुनी गई अवधि में किश्तों में लेने का विकल्प है। पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए केवल बीमित व्यक्ति द्वारा ही अपने जीवनकाल में इस विकल्प का चयन किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) या तो सुनिश्चित मूल्य के रूप में हो सकती है अथवा कुल देय दावा प्राप्तियों के कुछ प्रतिशत के रूप में।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्त की निम्नानुसार न्यूनतम राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/–
त्रैमासिक	रु. 15,000/–
अर्ध–वार्षिक	रु. 25,000/–
वार्षिक	रु. 50,000/–

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार निवल दावा राशि, न्यूनतम किश्त हेतु आवश्यक राशि से कम है तो दावे की प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किश्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किश्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक यील्ड में से 2% कम करके, उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक यील्ड पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार होगी और यह दर सभी किस्त भुगतान अवधि (5/10/15 वर्ष) के लिए लागू होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2025 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2026 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किश्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 4.62% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी की वैधता–अवधि के दौरान इस विकल्प का उपयोग किस्त भुगतान की अवधि एवं निवल दावा राशि, जिसके लिए उस विकल्प को प्रयुक्त करना है, को निर्धारित करते हुए प्रयोग कर सकता है। बाद में, मृत्यु दावा राशि का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

इस योजना के अंतर्गत 5, 10 और 15 वर्षों के लिए नियमित प्रीमियम भुगतान, सीमित प्रीमियम या एकल प्रीमियम भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में, प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से पॉलिसी भुगतान अवधि के दौरान प्रीमियम भुगतान की वार्षिक या अर्ध–वार्षिक विधियों से किया जा सकता है।

देय प्रीमियम राशि बीमित होने वाले व्यक्ति की प्रवेश पर आयु, धूम्रपान की स्थिति, लिंग, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि एवं मृत्यु हितलाभ के चयनित विकल्प पर निर्भर होगी।

6. अनुग्रह अवधि (नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

वार्षिक या अर्ध–वार्षिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 30 दिनों की एक अनुग्रह अवधि अनुमत होगी। इस अवधि के दौरान पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि के समाप्त होने के बाद सभी लाभ समाप्त हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

7. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम:

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत नॉन–स्मोकर, पुरुष, मानक जीवन के लिए रु. 2 करोड़ की मूल बीमा राशि हेतु विकल्प I (स्थाई बीमा राशि) एवं विकल्प II (वर्धमान बीमा राशि), दोनों के लिए नमूने की उदाहरणार्थ प्रीमियमें निम्नानुसार हैं :

विकल्प । (स्थाई बीमा राशि):

आयु (पिछला जन्म दिन)	पॉलिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	15 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	10 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	5 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	एकल प्रीमियम (रु. में)
20	20	12,600	14,800	19,200	33,000	1,34,600
30	20	19,000	22,200	28,800	50,000	2,04,800
40	20	43,600	50,800	66,600	1,15,600	4,75,800

उपरोक्त प्रीमियमों में कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।

विकल्प ।। (बढ़ती हुई बीमा राशि) :

आयु (पिछला जन्म दिन)	पॉलिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	15 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	10 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	5 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	एकल प्रीमियम (रु. में)
20	20	17,200	20,000	26,200	45,400	1,85,600
30	20	28,200	33,000	43,200	75,000	3,07,800
40	20	68,600	80,200	1,05,400	1,83,200	7,54,800

उपरोक्त प्रीमियमों में कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।

8. छूट:

निम्नांकित छूटें लागू होंगी :

(i) उच्च बीमा राशि छूट (नियमित, सीमित एवं एकल प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

उच्च मूल बीमा राशि के लिए सारणीबद्ध एकल/वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में छूटें इस प्रकार हैं:

ए) विकल्प । के अंतर्गत : स्थाई बीमा राशि

आयु बंधन (पिछला जन्मदिन)	विभिन्न मूल बीमित राशि के लिए सारणीबद्ध एकल/वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमित राशि पर छूट			
	रु. 2 करोड़ से रु. 3 करोड़ से कम	रु. 3 करोड़ से रु. 5 करोड़ से कम	रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ से कम	रु. 10 करोड़ और उससे अधिक
18 से 35 वर्ष	शून्य	2.25%	3.50%	4.00%
36 से 55 वर्ष	शून्य	1.75%	2.50%	3.25%
56 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	1.25%	2.00%	2.50%

बी) विकल्प II के अंतर्गत: बढ़ती हुई बीमा राशि

आयु बंधन (पिछला जन्मदिन)	विभिन्न मूल बीमित राशि के लिए सारणीबद्ध एकल/वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमित राशि पर छूट			
	रु. 2 करोड़ से रु. 3 करोड़ से कम	रु. 3 करोड़ से रु. 5 करोड़ से कम	रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ से कम	रु. 10 करोड़ और उससे अधिक
18 से 35 वर्ष	शून्य	2.00%	3.00%	3.50%
36 से 55 वर्ष	शून्य	1.50%	2.00%	2.50%
56 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	1.00%	1.50%	2.00%

(ii) ऑनलाइन बिक्री के अंतर्गत छूट:

विकल्प I तथा विकल्प II दोनों के अंतर्गत, निम्नलिखित दरों पर तालिका प्रीमियम पर छूट पाने के लिए प्रस्ताव को एजेन्ट/मध्यावर्ती की किसी मदद के बिना ऑनलाइन बिक्री के तहत पूरा किया जाना चाहिए।

प्रीमियम भुगतान अवधि	तालिका प्रीमियम के % के रूप में ऑनलाइन बिक्री छूट
5 वर्ष से 82 वर्ष	7.50%
एकल प्रीमियम	3.00%

(iii)प्रीमियम संपरिवर्तन दर (नियमित तथा सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू)

वार्षिक से भिन्न माध्यम के लिए मोडल प्रीमियम वार्षिक समतुल्य प्रीमियम पर आधारित होगा। वार्षिक समतुल्य प्रीमियम निम्न अनुसार समकक्ष प्रीमियम संपरिवर्तन दर से बढ़ाया गया तालिका वार्षिक प्रीमियम है (कोई अन्य छूट प्रदान किए जाने के बाद)। मोडल प्रीमियम को प्रीमियम भुगतान के चुने हुए माध्यम की समकक्ष मोडल बारंबारता द्वारा वार्षिक समतुल्य प्रीमियम को विभाजित करके निकाला जाता है।

माध्यम	प्रीमियम संपरिवर्तन दर	मोडल बारंबारता
वार्षिक	शून्य	1
छमाही	2%	2

9. पुनर्चलन (नियमित तथा सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय–समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है।

निगम के पास मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या स्थगित पॉलिसी के पुनर्चलन से इन्कार करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थगित पॉलिसी का पुनर्चलन केवल उसे निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकृत करने एवं पॉलिसीधारक को विशेष रूप से इसके बारे में पुनर्चलन रसीद जारी किए जाने के बाद प्रभावी होगा।

1 मई से आरंभ कर 30 अप्रैल तक चलने वाली प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, इस प्लान के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल में 3% जोड़कर उसके योग, या निगम की असंबद्ध, अ–सहभागी निधि पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2025 से आरंभ कर 30 अप्रैल, 2026 तक चलने वाली 12 माह की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के साथ 9.50% प्रति वर्ष होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

कालातीत पॉलिसी के पुनर्चलन पर, किसी चालू पॉलिसी पर लागू होने वाले सभी हितलाभों को पुनःस्थापित किया जाएगा।

कालातीत पॉलिसी के पुर्नचलन पर, पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ, जो पॉलिसी के कालातीत होने की तिथि से पहले उपलब्ध थे, पुनःस्थापित हो जाएंगे। यदि किसी कालातीत पॉलिसी को पुनर्चलन अवधि के भीतर, पर परिपक्वता की तिथि से पहले पुनर्चलित नहीं करवाया जाता है, तो पॉलिसी स्वतः समाप्त हो जाएगी। नियमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के मामले में, कुछ भी देय नहीं होगा। हालाँकि, सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के मामले में, अगर कम से कम दो लगातार वर्षों (10 वर्ष से कम की प्रीमियम भुगतान अवधि के मामले में) या लगातार तीन वर्षों (10 वर्ष या अधिक प्रीमियम भुगतान अवधि के मामले में) के पूरे प्रीमियम्स का भुगतान किया गया हो, तो असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, के समान राशि का भुगतान पुनर्चलन अवधि के समाप्त होने पर किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

राइडर(रों) यदि इसे चुना जाता है, का पुनर्चलन मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही किया जाएगा, अलग से नहीं।

10. चुकता:

इस योजना के अंतर्गत कोई चुकता मूल्य उपलब्ध नहीं है।

11. अभ्यर्पण:

इस योजना के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, निम्नलिखित स्थितियों में पॉलिसी के अभ्यर्पण पर (स्थायी बीमा राशि (विकल्प I) और वर्धमान बीमा राशि (विकल्प II) दोनों विकल्पों के लिए), असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य के बराबर राशि, यदि कोई हो, देय होगी:

ए) नियमित प्रीमियम वाली पॉलिसियाँ : कुछ भी देय नहीं होगा।

बी) एकल प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के अंतर्गत : पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी के अभ्यर्पण किए जाने पर, असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

सी) सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के अंतर्गत : प्रयोज्य असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, पॉलिसियों के अंतर्गतः केवल तभी देय होगा यदि कम से कम पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया गया होः

i) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष से कम होने की स्थिति में दो क्रमागत वर्षों के लिए।

ii) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में तीन क्रमागत वर्षों के लिए।

चालू पॉलिसी के अभ्यर्पण के मामले में, असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

कालातीत पॉलिसी के मामले में, निम्नलिखित में से किसी के सबसे पहले घटित होने पर असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य, अगर कोई हो, देय होगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- पुनर्चलन अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, या
- पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी अभ्यर्पित किए जाने पर, या
- पुनर्चलन अवधि के समाप्त होने पर, यदि पॉलिसी का पुनर्चलन नहीं किया जाता है।

12. पॉलिसी ऋण:

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

13. कुछ स्थितियों में जब्ती:

यह पाए जाने पर कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणापत्र और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

14. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से सबसे पहले कोई भी स्थिति घटित होने पर, पॉलिसी तत्काल और स्वत: ही समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि, जिस पर एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किश्त का भुगतान किया गया हो; या

बी) वह तिथि जिस पर पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, असमाप्त जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है; या

सी) परिपक्वता तिथि; या

डी) पुनर्चलन की अवधि समाप्त होने पर, यदि पॉलिसी पुनर्चलित न की गयी हो; या

ई) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान अथवा।

एफ) उपरोक्त पैरा 13 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

15. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियमों पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि, यदि कोई हो (मूल पॉलिसी और राइडरों के लिए, यदि कोई हो) अतिरिक्त प्रीमियम

सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर लाभों/प्रदत्त प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय हितलाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

16. निशुल्क अवलोकन (फ्री लुक) अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियमों और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर, आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और राइडर(रों), यदि कोई हो, के लिए), चिकित्सीय परीक्षण, (विशेष रिपोर्टों सहित, यदि कोई हों,) पर हुए व्ययों और स्टाम्प शुल्क प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

17. आत्महत्या अपवर्जन:

i) नियमित/सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी:

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम आरंभ होने की तिथि या पुनर्चलन की तिथि से, जैसा भी लागू हो, से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति का नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम (किसी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम तथा टैक्स को छोड़कर, अगर वह अलग से लिया गया हो), का 80% पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यह अनुच्छेद कालातीत पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं है।

ii) एकल प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत:

अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रुप से स्वस्थ या अस्वस्थ हो) पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम के आरंभ होने से 12 महीनों के अंदर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी अदा किए गए एकल प्रीमियम के 80%, किसी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम तथा टैक्स को छोड़कर, यदि अलग से लिए गए हों, को पाने का हकदार होगा।

18. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र निवारण करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से पंजीकृत पॉलिसी धारक

अपनी शिकायत को सीधे दर्ज करवा सकते हैं तथा उसकी स्थिति को देख भी सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी भी समस्या के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावे की अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास अपना प्रकरण समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति अथवा केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प होता है। एक सेवा–निवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे कोई जवाब प्राप्त नहीं करता है, तो उसके द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर–बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र) पर कॉल करके

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल प्रेषित करके

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे सं. 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम से कम लागत में त्वरित निर्णय प्रदान करता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी पर राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर धोखाधडी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण । : इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण ।। : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, यदि बीमित व्यक्ति/ लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जान–बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की अनुबन्ध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसका अधिकारी है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ, समय–समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय को संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512